अलवर। राजठ।

हुक्म

न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

– 36/2000 अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट(दर्ज रजिस्टर अर्न्तगत धारा 225 आर0टी0एक्ट)

– 1.रोशन लालपुत्र श्री हुक्मा

2.गणपत पुत्र श्री हुक्मा जाति गुर्जरान निवासीयान ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

–––––अपीलान्टान

–:बनाम:–

1. लीला राम पुत्र चन्दरिया
2. जगदीश पुत्र श्री लीला राम
3. रामस्वरूप पुत्र श्री लीला राम
4. श्रीराम पुत्र श्री लीला राम
5. होशियार पुत्र मक्खन
6. रामसिंह पुत्र श्री मक्खन जाति चमारान निवासीयान ग्रामखेडी तहसील कोटकासिम जिला, अलवर राज0
7. भू आंवटन सलाहकार समीति जरिये उप जिलाधीश महोदय जी, किशनगढ़बास जिला अलवर राज0

–––––––रेस्पोडन्टान

अपील विरूद्ध अध्यक्ष भू आंवटन सलाहकार समीति किशनगढ़बास जरिये उप जिलाधीश दिनांक 20.03.1995

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जर्नादन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 ला0 6 :- श्री परमानन्द मेहरा

3. वकील रेस्पो0 07 :- श्री अमर चन्द चौधरी

(राजकीय अभिभाषक)

निर्णय **दिनांक–**

प्रस्तुत अपील भू–आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) किशनगढ़बास के आदेश दिनांक 20.03.1995 के खिलाफ है, जिस आदेश के द्वारा रेस्पो0 को आराजी ख0 न0 292 वाके ग्राम खेडी तहसील किशनगढ़आस आवंटित की गई थी।

बहस के दौरान विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नही थी। जब रेस्पो0 अपीलांट को दिनांक 02.09.2000 को मौके पर बेदखल करने पहुंचे और कहा कि भूमि रेस्पो0 को अलोट हो चुकी है। अतः जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे और जानकारी के अभाव में हुई देरी को कन्डोन किया जावे। उन्होंने आगे तर्क दिये कि प्रश्नगत भूमि ख0 नं0 292 अपीलांट की खातेदारी भूमि लगती हुई है। जिस पर अपीलांट का कब्जा काफी पुराना चला आ रहा है। इसलिये यह भूमि अपीलांट को अलोट की जानी चाहिये। वक्त आवटंन भूमि खाली नही थी, क्योंकि उस पर अपीलांट का कब्जा है। आवटंन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं की, मौके की रिपोर्ट नहीं ली और गलत तौर पर रेस्पो0 को भूमि अलोट कर दी गई। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे।

बहस के दौरान विद्वान वकील रेस्पो0 सं0 1 ला0 6 बने तर्क दिये कि अपील मियाद बाहर है। देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है। इसलिये मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे। उन्होने तर्क दिये कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा नही रहा है। वक्त आवटन भमि खाली थी। आवटंन से पूर्व पटवारी की रिपोर्ट ली गई है। रेस्पो0 भूमिहीन है। सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए सही तौर पर रेस्पो0 को भूमि आंवटित की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिये कि आवटन नियमों की पूर्ण पालना करते हुए अपीलाधीन आदेश विधिक रूप से पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में यह सिद्धान्त अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये। अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुए नरम रूख अपनाया जाकर देरी को कण्डोन किया जाता है।

इसके पश्चात प्रकरण की मेरिट्स पर गौर किया। रेस्पो0 प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार रेस्पो0 भूमिहीन की श्रेणी में है। उक्त रिपोर्ट में कहीं पर पटवारी हल्का ने यह अंकन नहीं किया है कि भूमि खाली नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि वक्त आवंटन भूमि खाली थी। इतना ही नहीं, आवंटन के बाद दिनांक 28.03.1995 जगदीश पुत्र लीला को पटवारी द्वारा दखल भी दिलाया गया है। इसके बाद उसने पट्टा लेने के लिए चालान द्वारा राशि भी जमा करा दी थी। अदालत हाजा की पत्रावली में भूमि अलोटमैंट हेतु प्रा0 पत्र की प्रमाणित प्रति में सभी रेस्पो0 को भूमिहीन बताया गया है और सर्वसम्मति से उनको भूमि अलोट की गई है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट है कि आवंटन नियमों की पूर्ण पालना करते हुए रेस्पो0 को भूमि अलोट की गई है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। जहां तक प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा होने एवं वक्त आवंटन भूमि खाली नहीं होने का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायालय हाजा का विनम्र मत है कि अपीलांट ने अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। इसके विपरीत पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में भूमि खाली नहीं होने बाबत कोई रिपोर्ट नहीं की है। इसका तात्पर्य यही है कि वक्त आवंटन भूमि खाली थी। उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपील सारहीन है। लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.1995 यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)

भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर